भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2262
जिसका उत्तर सोमवार 08 जुलाई, 2019
17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2262. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजू :
श्रीमती रक्षा निखिल खडसेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने घाटे में चल रहे 192 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की विनिवेश हेतु सूची तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विनिवेश योजना पर श्रम संगठनों सहित कतिपय संगठनों द्वारा कोई आपत्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त विनिवेश योजना पर पुनर्विचार की मांग करने वाले कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की; और
(घ) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में प्राप्त सुझावों को देखते हुए सरकार सूचीबद्ध पीएसयू का विनिवेश करने की बजाय उनके पुनरुद्धार की कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) : जी, नहीं। नीति आयोग को सामरिक विनिवेश हेतु सीपीएसईस की पहचान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रयोजन हेतु नीति आयोग ने (क) राष्ट्रीय सुरक्षा; (ख) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य और (ग) बाजार अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर सीपीएसईस को "उच्च प्राथमिकता" तथा "न्यून प्राथमिकता" नामक दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। "न्यून प्राथमिकता" के अंतर्गत आने वाले सीपीएसईस सामरिक विनिवेश में शामिल किए जाते हैं। इस प्रयोजन हेतु सीपीएसईस की लाभप्रदता प्रासंगिक मापदंड नहीं है।

(ख) और (ग) : सीपीएसईस के सामरिक विनिवेश के संबंध में समय-समय पर विभिन्न हिस्सेदारों से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं जिनकी जांच की जाती है और सरकार की मौजूदा विनिवेश नीति को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया के अनुसार उनका उत्तर दिया जाता है।

(घ) : जी, नहीं।

*****